ई–मेल/आज ही जारी हो।

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक प.12 (6) शिक्षा–5/आरटीई दिशा निर्देश/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 07/08/18

निदेशक,
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर ।

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर–सरकारी संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2018–19 से प्रभावी प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में ।

सन्दर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 02.02.2018 एवं 06.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश, भौतिक सत्यापन व फीस के पुनर्भरण हेतु पूर्व में दिनांक 02.02.2018 एवं 06.03.2018 को जारी दिशा निर्देशों के अध्याय 2 के बिन्दु संख्या 3 प्रवेश का टाईम फ्रेम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

क. सं.	विवरण/गतिविधि	टाइम फ्रेम	दायित्व निर्धारण
1.	निःशुल्क प्रवेशित बालकों एवं शेष 75 प्रतिशत सीट्स पर प्रवेशित बालकों की वेब पोर्टल पर एन्ट्री	17.08..2018 तक	सम्बन्धित निजी विद्यालय

इस संबंध में निम्नांकित कार्यवाही की जानी है :–

1. व्यापक प्रचार प्रसार की दृष्टि से इस संशोधित टाईम फ्रेम को आरटीई वेब–पोर्टल पर एनआईसी के माध्यम से अपलोड करावें ।
2. संशोधित टाईम फ्रेम के लिए आवश्यक विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करावें, जिससे सभी गैर–सरकारी शैक्षिक संस्थाओं, अभिभावक एवं संबंधित अधिकारियों को अविलम्ब जानकारी मिल सकें ।

भवदीय,
07/08/18
(महेश कुमार गेरयानी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्र० शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. आयुक्त, राप्राशिप,शिक्षा संकुल, जयपुर ।
4. श्री विनोद जैन, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक,एनआईसी, शिक्षा संकुल, जयपुर को आरटीई वेब पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव

C:\Users\Administrator\Desktop\A-k- Gupta\Genrel Latter.docx